उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-513/2025/592के-2/22-3-25-17(1279)/22

लखनऊ : दिनांक: 18 नवम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र शुक्ला उर्फ नीलू (बन्दी संख्या-839/18) पुत्र श्री श्याम नारायन, निवासी 127/108, यू0 ब्लॉक, निरालानगर, जनपद-कानपुर नगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-172एम/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, कानपुर के आदेश दिनांक 27-02-1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 04-03-2022 तक भोगी गई 04 वर्ष, 09 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा, रजिस्टर नं0-1 के अनुसार आयु 56 वर्ष, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
3- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
5- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या-14/2025 परदेशी (CPVNS 42225) व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-01-2025 के सन्दर्भ में।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in